न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर, कैम्पकोर्ट रीवा ‡म0प्र0‡

II/निग0/रीवा/2018/0590

चन्द्रकांत मिश्र आत्मज स्व0 श्री लोलराम मिश्रा, आयु 60 वर्ष, व्यवसाय कृषिकार्य, निवासी ग्राम रकरी, प0ह0 बेहराडाबर, रा0नि0मं0 मऊगंज, तहसील मऊगंज, जिला रीवा ‡म0प्र0‡ ---------------------------------- आवेदक/ रिवीजनर

बनाम

ठाकुर प्रसाद मिश्रा आत्मज ब्रह्मदीन मिश्रा, आयु 70 वर्ष, व्यवसाय कृषिकार्य, निवासी ग्राम रकरी, प0ह0 बेहराड़ाबर, रा0नि0 मं0 मऊगंज, तहसील मऊगंज, जिला रीवा ‡म0प्र0‡ ---------------------------------- अनावेदक/ नानरिजोजनर

अधि0 श्री शोभाई पाण्डेय
प्रस्तुत किया/23-1-18

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

प्रकरण क्र0- 58 अ/27 2016-2017 में पारित आदेश दिनांक 29-09-2017 के विरूद्ध।

रिवीजन अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0भू0रा0 सं0 1959ई0।

===

मान्यवर,

रिवीजन निम्न बिन्दुओं पर आधारित है :-

‡1‡ राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश में प्रक्रियात्मक त्रुटि है, जिससे स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

‡2‡ रिवीजनदार द्वारा तहसीलदार मऊगंज जिला रीवा को आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिसका निराकरण राजस्व निरीक्षक द्वारा नहीं किया जाकर अंतिम आदेश पारित किया गया है। रा0नि0 ने इस बिन्दु पर विचार नहीं किया कि [handwritten insertion, partly illegible] भूमि क्र0- भूमि नं0 141 क्षेत्रफल 0.401 आरे का मौसी मालिकान [illegible] ही भूमिस्वामी है फिर किस प्रकार स्वामित्व से भी 141 में मात्र 0.401 आरे के अधिक रिवीजनर को भूमि की मांप की गई। रिवीजनर को भूमि की माप करने

-चन्द्रकान्त मिश्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/590

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
01-08-18	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त मउगंज तहसील मउगंज जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 58 अ-12/16-17 में पारित आदेश दिनांक 29-9-2017 के विरूद्ध म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक द्वारा उसके स्वामित्व की आराजी क्रमांक 137/1, 138, 139, 140, 141, 557, 572/2/1 , 594/1, 595/1/1, 596/1/2 कुन किता 10 के सीमांकन का आवेदन दिया था, जिस पर से दो पटवारियों हलका बहेराडावर एंव गंज ने राजस्व निरीक्षक के साथ मौके पर जाकर दिनांक 16-5-2017 को सीमांकन किया है। सीमांकन पर आवेदक ने आपत्ति दर्ज कराई है। राजस्व निरीक्षक ने आपत्तिकर्ता एंव भूमिस्वामी दोनों को सुना है तथा आवेदक की आपत्ति निरस्त करते हुये किये गये सीमांकन कर अंतिमता प्रदान की है। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित कर दी गई है इसलिये गलत किये गये सीमांकन को निरस्त किया जाय। यह तथ्य निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदक के स्वत्व एंव स्वामित्व की है जिसका सीमांकन कराने का वह अधिकारी है। यदि अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानता है, तब वह स्वयं की	

भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से ई0टी0एस0एम0 के माध्यम से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक के स्वामित्व की भूमि के किये गये सीमांकन पर राजस्व निरीक्षक वृत्त मउगंज तहसील मउगंज जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 58 अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 29–9–2027 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य